

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/ दिनांक :

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्रीमति मीना गुरबानी, वरिष्ठ सहायक, पाली।	27.09.1991	27 वर्ष	27.09.2018	एल-11
2.	श्री सिमरथदास वैष्णव, वरिष्ठ सहायक, बाडमेर।	22.01.2001	18 वर्ष	22.01.2019	एल-9
3.	श्री देवनारायण बिस्सा, कनिष्ठ सहायक, जोधपुर।	27.09.1991	27 वर्ष	27.09.2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर  
दिनांक 09/08/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/1698

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/पाली।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नाहटा चिकित्सालय, वालोतरा, बाडमेर।
- 4 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, निमाज, पाली।
- 5 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर